

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021—फाल्गुन 18, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/2020/18 :- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 133-क की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 133-क की उप-धारा (1) के अधीन, किसी नगर पालिक निगम की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के अंतरण पर देय एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को अंतरण के ऐसे प्रकरणों में जो शासकीय भूमि आबंटन/अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर-रियायती/रियायती स्थाई पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तन करने से संबंधित हों, पूर्णतः माफ किया जाता है।
2. उपरोक्त माफी इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावशील होगा और 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2021

क्रमांक एफ 5-10/2020/18 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/2020/18 दिनांक 08-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 8th March 2021

NOTIFICATION

No. F. 5-10/2020/18 . – In exercise of the powers conferred upon it by the Proviso to sub-section (1) in Section 133-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the State Government hereby notifies as follows, namely :-

1. Stamp Duty of one percent payable on transfer of immovable property situated within the limits of any Municipality, under sub-section (1) in Section 133-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), is hereby waived in full in respect of transfer cases relating to allotment/settlement of government land under encroachment and conversion of non-concessional/concessional permanent lease into bhumiswami rights.
2. The above waiver shall come into effect from the date of this Notification, and shall be applicable till the 31st day of March 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.